न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–358/2019

शेख अब्दुल कादिर.....वादी

बनाम

नासीर अहसन एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
08.02.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादीगण की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 19.10.2022 के अंतर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी सं0–01 ता 04 की ओर से अपने आवेदन दिनांक 19.10.2022 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अपना बयान तहरीरी दाखिल नही कर सके। जिसके कारण दिनांक 22.06.2022 को न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित कर दिया गया। कोरोना महामारी तथा प्रतिवादीगण की गरीबी एवं लाचारी के कारण समय सीमा के अंतर्गत प्रतिवादीगण अपना बयान तहरीरी दाखिल नही कर सके। प्रतिवादीगण को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किये गये आदेश दिनांक 22.06.2022 को न्यायहित में वापस करते हुए बयान तहरीरी ग्रहण करने की कृपा करें। वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 23.11.2022 को दाखिल किया गया तथा जिसमें कहा गया कि प्रतिवादीगण का आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों ही दृष्टिकोण से खारिज करने योग्य बताया गया तथा कहा गया कि प्रतिवादी सं0–01 दिनांक 22.03.2021 को प्रस्तुत वाद में हाजिर हुये तथा पर्याप्त समय देने के बावजूद दिनांक 22.06.2022 को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया गया। जबकि प्रतिवादी सं0–02 ता 04 दिनांक 09.03.2022 को हाजिर हुये तथा उन्हें भी पर्याप्त समय देते हुए दिनांक 22.06.2022 को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया गया। प्रतिवादीगणों द्वारा बयान तहरीरी दाखिल न करने पर कोई उचित कारण नही बताया है। अतः प्रतिवादी सं0–01 ता 04 का आवेदन खारिज योग्य है। उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद सं0–358/2019</u>

लगातार **08.02.2023**	किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–01 दिनांक 22.03.2021 एवं प्रतिवादी सं0–02 ता 04 दिनांक 09.03.2022 को न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये तथा दिनांक 22.06.2022 को उपस्थित प्रतिवादी सं0–01 ता 04 को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिवादी सं0–01 ता 04 को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रतिवादी सं0–01 ता 04 द्वारा विलंब से बयान तहरीरी दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–01 ता 04 का आवेदन मो0–3000/– (तीन हजार) रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए दिनांक 22.06.2022 के आदेश को वापस लेते हुए प्रतिवादी सं0–01 ता 04 की ओर से दाखिल बयान तहरीरी को ग्रहण किया जाता है। आगामी दिनांक 14.03.2023 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	